

---

## अध्याय-4

### संस्थाओं का कामकाज

---

याद रखने योग्य बातें :-

- संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून/विधि निर्माण का कार्य करते हैं।
- लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543+2 होती है। (2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है)।
- राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है जिन में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है।
- प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है।
- मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आम तौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं।
- प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी 'केबिनेट मंत्री' छोटे मंत्रालयों के प्रभारी 'स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री 'राज्य मंत्री, कहलाते हैं।
- भारत सरकार ने 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, 8 सितम्बर 1993 को पूरी तरह इस आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और अन्य पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला।
- भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं।
- जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका व

---

लम्बे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यह अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं।

- न्यायपालिका सवैधानिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए 'सर्वोच्च न्यायालय', राज्यों में 'उच्च न्यायालय', जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय होते हैं।

**1 अंक वाले प्रश्न :-**

1. संसद का 'लोअर हाउस' किसे कहते हैं?
2. संसद का 'अपर हाउस (उच्च सदन) किसे कहते हैं?
3. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
4. राष्ट्रपति मंत्रियों को किस की सिफारिश पर नियुक्त करता है?
5. भारत में 'संसद' किसे कहते हैं?
6. राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं।
7. राष्ट्रपति राज्य सभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
8. भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है?
9. गठबंधन की सरकार क्या होती है?
10. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है?

**लघु/दीर्घ प्रश्न (3/5 अंक) :-**

1. अन्य पिछड़ी जाति आयोग किस की अध्यक्षता में और कब गठित हुआ? यह पूरी तरह कब लागू हुआ?
2. कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर है?
3. राजनैतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर कीजिये।
4. न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसके क्या अधिकार हैं?
5. भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम लिखिए?
6. संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं?
7. भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं?
8. संसद के राजनैतिक अधिकार क्या हैं?
9. भारतीय प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं?
10. लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है?

---

## उत्तर माला

### 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर :-

1. लोकसभा
2. राज्यसभा
3. राष्ट्रपति
4. प्रधानमंत्री
5. भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं।
6. राज्य स्तर पर विधायिका को विधान सभा कहते हैं।
7. 12 सदस्य
8. राष्ट्रपति
9. दो या दो से अधिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार गठबंधन की सरकार कहलाती है।
10. दोनों सदनों में अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके।

### लघु/दीर्घ प्रश्नों के उत्तर :-

1. अन्य पिछड़ी जाति आयोग :-
  - 1979 में गठित।
  - अध्यक्ष – बी. पी. मंडल।
  - 8 सितम्बर 1993 में पूरी तरह लागू।
2. कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री और राज्यमंत्री में अंतर:
  - प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी 'कैबिनेट मंत्री'।
  - छोटे मंत्रालयों के प्रभारी 'स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री'।
  - अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री।
3. राजनैतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर :
  - जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं।

- 
- विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा लम्बे समय के लिए नियुक्त लोगो को स्थायी कार्यपालिका कहते है।
  - यह अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं।
4. न्यायपालिका और इसके अधिकार :
- न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है।
  - इसके पास न्याय करने का अधिकार और
  - कानूनी विवादो के निबटारे का अधिकार होता है।
5. भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम :
- पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय।
  - राज्यों में उच्च न्यायालय।
  - जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय।
6. संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं:
- भारत का नागरिक हो।
  - लोकसभा के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो।
  - दिवालिया या सजायापता न हो।
7. भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं :
- भारत का नागरिक हो।
  - चुनाव के वक्त आयु 35 वर्ष से अधिक।
  - दिवालिया या सजायापता न हो।
  - सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो।
  - लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।
8. संसद के राजनैतिक अधिकार :
- कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नये कानून बनाने का अधिकार।

- 
- सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार ।
  - सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार ।
  - सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार ।
9. भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार :
- कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता ।
  - विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय ।
  - विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी ।
  - मंत्रियों के कामों का वितरण ।
  - किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार
10. लोकसभा और राज्यसभा में अंतर :
- 1 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष के रूप से होता है ।
  - 2 राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है ।
  - 3 संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है ।
  - 4 लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है ।
  - 5 लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है । राज्यसभा को यह अधिकार नहीं ।